

फा. सं. 1/132(18)/2018-भ.III

संघ लोक सेवा आयोग

भ-III अनुभाग

पद का नाम	पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी(नेपा), मेघालय, गृह मंत्रालय में सहायक निदेशक(प्रबंधन) का एक(अना.-01) पद।
विज्ञापन सं.	02/2019
रिक्ति सं.	19010201326
लघु सूचीबद्ध करने हेतु अपनाए गए मानदंड	शै.यो.-(i) + (ii)
अपनाए गए मापदंड	<p>(i) प्रारंभिक संवीक्षा, उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा भरी गई जानकारी के आधार पर की गई है।</p> <p>(ii) अनुभव प्रमाण पत्र विहित प्रारूप में होने चाहिए। तथापि, जहां कहीं भी आवेदकों द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र विहित प्रारूप में जमा नहीं किए गए हैं, वहां उनके अनुभव प्रमाण पत्र पर मेरिट के आधार पर विचार किया गया है।</p> <p>(iii) उम्मीदवार द्वारा अंशकालिक, दैनिक आधार पर, आगंतुक/अतिथि संकाय आधार पर प्राप्त अनुभव की अवधि पर, मान्य अनुभव की गणना करने हेतु विचार नहीं किया गया है।</p> <p>(iv) संगत क्षेत्र में संविदा/ तदर्थ आधार पर प्राप्त अनुभव पर विचार किया गया है।</p> <p>(v) कालेज स्तर पर लेक्चरर/ सहायक प्रोफेसर के तौर पर अध्यापन के अनुभव को संगत क्षेत्र का अनुभव माना गया है।</p> <p>(vi) नियुक्ति प्रस्ताव/ नियुक्ति पत्र/ कार्यालय आदेश/ स्थायीकरण पत्र/ अनुमोदन पत्र पर अनुभव प्रमाण पत्र के तौर पर विचार नहीं किया गया है।</p> <p>(vii) जहां अनुभव प्रमाणपत्र संबंधित संगठन द्वारा जारी किया गया है वहां यह बाध्यता नहीं है कि जारीकर्ता प्राधिकारी विभाग प्रमुख ही हो।</p> <p>(viii) मानव संसाधन प्रबंधन में विशेषज्ञता के उल्लेख के बिना व्यवसाय प्रशासन में मास्टर डिग्री(एमबीए) को अ.यो.(i) की अपेक्षाओं के प्रति पर्याप्त नहीं माना</p>

	<p>गया है।</p> <p>(ix) नाम की वर्तनी में अंतर/नाम में परिवर्तन के लिए शपथ पत्र प्रस्तुत करना पर्याप्त होगा।</p> <p>(x) आवेदन पत्र में, उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित वचनबंध को ध्यान में रखते हुए, नियोक्ता को सूचित करने संबंधी वचनबंध पर, जहां कहीं भी लागू हो, विशेष तौर पर बल नहीं दिया जाएगा।</p> <p>(xi) कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया जा सकता है। उन्हें सर्वाधिक उपयुक्त श्रेणी के तहत अस्वीकार किया गया है।</p>	
लघु सूचीबद्ध किए गए उम्मीदवारों के अनुक्रमांक	शून्य	
लघु सूचीबद्ध नहीं किए गए उम्मीदवारों के अनुक्रमांक	एलईक्यू -(i)	01, 04, 05, 08, 10, 19, 25, 26, 33, 52, 57, 63, 68 व 69
	एलईक्यू -(ii)	02, 06, 09, 18, 20, 23, 30, 35, 39, 47, 53, 54, 59, 61, 65 व 71
	एलईक्यू -(i) व (ii)	03, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 67, 70, 72, 73 व 74
	डुप्लीकेट आवेदन	17 व 75

भर्ती के संबंध में कार्रवाई प्रारंभिक संवीक्षा के चरण में ही निष्फल रही है।

परामर्शदाता/उप सचिव (अ.-III)

संकेतक:

एलईक्यू : शैक्षणिक योग्यता में कमी